

Bihar Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 2016

Act 17 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गज़ट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1938 (श0) (सं0 पटना 709) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2016

सं0 एल0जी0-01-09/2016/179/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्निलिखित अधिनियम, जिसपर महामिहम राज्यपाल **दिनांक 01 सितम्बर, 2016** को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016

[बिहार अधिनियम 17, 2016]

बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ I—(1) यह अधिनियम बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम, 22, 1954 की धारा 2 में संशोधन |—उक्त अधिनियम, 1954 में धारा—2 की उप धारा (घ) (ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—"(ii) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, 'भूमिहीन व्यक्ति' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो भूमिहीन व्यक्ति होने हेतु बिहार राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो:—

''बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'भूमिहीन व्यक्ति' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो 1.00 (एक) एकड़ तक अथवा उससे कम जमीन धारित करते हैं।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

2 सितम्बर 2016

सं0 एल0जी0-01-09/2016/180/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2016 को अनुमत बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्निलखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

Bihar Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 2016 [Bihar Act 19, 2016]

AN

ACT

To amend The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954

Be it enacted by the legislature of state of Bihar in the sixty seventh years of the Republic of India, as flows:-

- 1. **Short title, extent and commencement.**-(1) This Act may be called the Bihar Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment in the Section 2 of Bihar Act, 22 1954.- Sub-section (d) (ii) of Section-2 of the said Act, 1954 would be replaced by the following:-"(ii) For the purpose of this Act "landless person" means a person who fulfills the following criterion determined by the Bihar State Government for qualifying as landless person:-

For the purpose of Bihar Bhoodan Yagna Act 'landless person' means a person who fulfills following criterion to be the landless person determined by the State Government:—A person who holds up to one acre or less land."

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, वटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 709-571+400-डी0टी0वि।

Website: http://egazette.bih.nic.in